न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद संख्या : 96/2014

राधेश्याम पुत्र श्री भैरूलाल जाति माली निवासी वार्ड नं0 1 भगवानपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. नवल किशोर पुत्र श्री भैरूलाल जाति माली
2. जोधराज पुत्र श्री भैरूलाल जाति माली
3. रघुवीर पुत्र श्री चतरा माली
4. मूलचंद पुत्र छोटूलाल जाति माली
5. नन्दकंवरी पत्नि कस्तूर चंन्द्र जाति माली
   निवासीगण वार्ड नं0 1 भगवानपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
6. कमल शंकर पुत्र लालचन्द जाति ब्राहमण निवासी ईदगाह के पास ईटावा रोड मांगरोल
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री लिहाज हुसैन अंसारी
वकील प्रतिवादीगण : श्री हरिओम यादव, श्री के0 के0 सोनी
दायरा दिनांकः 24.06.2014 निर्णय दिनांक : 03.05.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी ग्राम मांगरोल तह0 मांगरोल में स्थित है, जिसके खाता संख्या 575 खसरा नं0 729 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 1769 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1771 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 1822 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 1823 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 1830 रकबा 0.03 है0 खसरा नं0 1835 रकबा 0.02 है0 खसरा नं0 1839 रकबा 0.01 है0 खसरा नं0 2134 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 2150 रकबा 0.33 है0 खसरा नं0 2152 रकबा 0.17 है0, कुल किता 11 रकबा 1.95 है0 है। जिसकी जमाबंदी सम्वत 2044 से 2063 से होती है उक्त जमाबंदी में रेकार्डेड खातेदार भैर्या, चतरा छीत्या, पिता डालू जाति माली निवासी मांगरोल थे। इस तरह तीनो भाईयों का खाते में 1/3–1/3–1/3 हिस्सा निहित था। वादी व प्रतिवादीगण के पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

डालू (मृतक)

भैर्या उर्फ भैरूलाल	चतरा	छीत्या
(मृतक)	(मृतक)	(मृतक)
1/3	1/3	1/3
1. नवल किशोर (प्र0 1)	1. रघुवीर पुत्र (प्र0 3)	ला औलाद
2. राधेश्याम पुत्र (वादी)	2. तुलसा बेवा (मृत्यु)	फौत हुआ
3. जोधराज पुत्र (प्र0 2)	(हिस्सा 1/2)	
4. छोटी बेवा (मृत्यु)		
(हिस्सा 1/2)		

उक्त वर्णित आराजी पर भैर्या चतरा छीत्या का नाम दर्ज था, जिसमें छीत्या लाऔलाद फौत हो गया व भैर्या, चतरा का भी स्वर्गवास होने पर फौती इन्तकाल दर्ज कर खाते में इन्तकाल नं0 310 से नोट अंकित किया मु0 छोटी बेवा, नवल किशोर, राधेश्याम, जोधराज पुत्र भैरूलाल हिस्सा 1/2 रघुवीर पुत्र मुस0 तुलसा बेवा चतरा हिस्सा 1/2 व छीत्या का नाम खाते में खारिज करने की स्वीकृति हुई। इस तरह सम्पूर्ण खाता कुल किता 11 रकबा 1.95 है0 में भैर्या के वारिसान के 1/2 हिस्सा (0.97 है0) व चतरा के वारिसान के 1/2 हिस्सा (0.97 है0) हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया। वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 छोटी बेवा भैरूलाल ने दिनांक 11.07.1996 को जर्ये विक्रय पत्र अपने सम्पूर्ण खाते के 1/2 हिस्से का 1/2 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण खाते का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 4 मूलचंद पुत्र छोटूलाल माली निवासी मांगरोल को 81000 रू0 में विक्रय कर दिया है। और रजिस्ट्री के आधार पर इन्तकाल दर्ज होकर प्रतिवादी नं0 4 मूलचंद 1/4 हिस्से का खातेदार है। और वर्तमान में वादी की मां छोटी बेवा भैरूलाल का भी स्वर्गवास दिनांक 20.05.2008 को हो गया है इसलिये सम्पूर्ण खाते में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का 1/4 हिस्सा अर्थात 0.48 है0 शेष है। उक्त वर्णित आराजी कुल किता 11 रकबा 1.95 है0 में प्रतिवादी नं0 3 रघुवीर व उसकी मां तुलसा का 1/2 हिस्सा निहित था अर्थात 0.97 है0 था जिसमें तुलसा बाई का भी स्वर्गवास हो गया है और सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का वारिस रघुवीर ही बचा है, लेकिन फौती इन्तकाल तुलसा बाई का दर्ज नही होने से वर्तमान में खाते में तुलसा बाई का नाम 1/4 दर्ज है। यह कि रघुवीर ने अपना 1/2 हिस्सा (0.97 है0) में से दिनांक 14.05.1992 को जर्ये नोटेरी खसरा नं0 729 रकबा 0.72 है0 की आराजी का विक्रय प्रतिवादी नं0 6 कमलशंकर को 50000 रू0 में कर दी है। जिस पर कमलशंकर ने माननीय न्यायालय में एक वाद उनवान कलमशंकर बनाम रघुवीर वाद संख्या 195/06 धारा 88, 89, 53

एक्ट का पेश कर न्यायालय ने दिनांक 14.03.2007 को निर्णय पारित कर खातेदार घोषित कर खाते दर्ज करने के आदेश हुए जिसकी पालना में प्रतिवादी नं0 6 को खसरा नं0 729 रकबा 0.72 का खातेदार कृषक घोषित किया और अलग से खाता दर्ज कर दिया गया। इस तरह रघुवीर ने अपना बेटे का हिस्सा 1/2 (0.97 है0) में 0.72 है0 कमल शंकर को विक्रय कर दिया है। उसके बाद शेष हिस्सा रघुवीर का 0.25 है0 ही बचता है। प्रतिवादी नं0 3 रघुवीर ने सम्पूर्ण खाते का शेष बचा हिस्सा 0.25 है0 में से भी जर्ये रजिस्ट्री प्रतिवादी नं0 5 नन्दकंवरी पत्नि कस्तूर चन्द जाति माली को सम्पूर्ण खाते का 7/124 वां हिस्सा (0.11 है0) का विक्रय कर दिया जिसका इन्तकाल नं0 1297 दिनांक 29.10.2009 से नन्दकंवरी का खातेदार की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज हुआ। इस तरह रघुवीर द्वारा अपना सम्पूर्ण खाते का 1/2 हिस्सा (0.97 है0) को दो बार विक्रय करने के बाद 0.25 है0–0.11 है0 = 0.14 है0 ही शेष रहता है। जमाबंदी बनाते समय घोर लापरवारी बरतते हुए पुरानी जमाबंदी से मिलान नही करते हुए वादी व प्रतिवादी के हिस्से में कांट छांट कर दी गयी है और वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से कम ज्यादा कर दिये है जिसको वादी सही करवाने का कानूनी अधिकार रखता है और हिस्से पूर्व के अनुसार करा पा सकने का अधिकारी है। पूर्व रेकार्ड के अनुसार व आराजी विक्रय के अनुसार सम्पूर्ण खाते 1.95 है0(0.97 है0) में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का हिस्सा 1/4 अर्थात 0.48 है0 वर्तमान में होना चाहिए व इसी तरह रघुवीर द्वारा दो बार आराजी का विक्रय करने के बाद सम्पूर्ण खाता 1.95 है0 (0.97 है0) में से वर्तमान में 0.14 है0 शेष आराजी का खातेदार होना चाहिये व इसी के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन होना चाहिये रेकार्ड के अनुसार वादी हिस्सा सही करा पा सकने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि ग्राम मांगरोल तह0 मांगरोल में स्थित है, जिसके खाता संख्या 575 खसरा नं0 729 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 1769 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1771 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 1822 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 1823 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 1830 रकबा 0.03 है0 खसरा नं0 1835 रकबा 0.02 है0 खसरा नं0 1839 रकबा 0.01 है0 खसरा नं0 2134 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 2150 रकबा 0.33 है0 खसरा नं0 2152 रकबा 0.17 है0, कुल किता 11 रकबा 1.95 है0 में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का हिस्सा 1/4 अर्थात 0.48 है0 प्रतिवादी नं0 3 रघुवीर का हिस्सा 0.14 है0 प्रतिवादी नं0 4 मूलचंद का हिस्सा 1/4 अर्थात 0.48 है0 प्रतिवादी नं0 5 नन्द कंवरी का हिस्सा 7/124 अर्थात 0.11 है0 प्रतिवादी नं0 6 का हिस्सा खसरा नं0 729 रकबा 0.72 है0 कुल 0.48+0.14+0.48+0.11+0.72+=1.93 है0 का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करें। कुल किता 11 रकबा 1.95 है0 में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का हिस्सा 1/4 अर्थात 0.48 है0 प्रतिवादी नं0 3 रघुवीर का हिस्सा 0.14 है0 प्रतिवादी नं0 4 मूलचंद का हिस्सा 1/4 अर्थात 0.48 है0 प्रतिवादी नं0 5 नन्द कंवरी का हिस्सा 7/124 अर्थात 0.11 है0 प्रतिवादी

का हिस्सा खसरा नं0 729 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम मांगरोल में प्रत्येक का हिस्से के अनुसार रेकार्ड में पृथक पृथक खाता दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 24.06.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम यादव ने दिनांक 05.08.2015 को वकालत नामा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी क्रम 5 की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 सोनी ने दिनांक 06.11.2015 को वकालत नामा प्रस्तुत किया एवं बावजूद सूचना प्रतिवादी क्रम 3 व 4 अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी क्रम 3 व 4 को एक्स पार्टी कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 तथा 5 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब दावा प्रस्तुत नही किया। प्रतिवादी क्रम 5 के अधिवक्ता श्री के0 के0 सोनी ने दिनांक 08.01.2018 को निवेदन किया कि व प्रतिवादी क्रम 5 नन्द कंवरी पत्नि कस्तूर चन्द्र जाति माली की ओर से पैरवी नही करना चाहते है अतः प्रतिवांदी क्रम 5 के विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं पत्रावली में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जवाब दावा प्रस्तुत करने का उपयुक्त समय दिये जाने के उपरान्त भी आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किये जाने से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को एक्स पार्टी कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी आराजी मांगरोल सम्वत 2044–2063, नकल जमाबंदी आराजी मांगरोल सं0 2065–2068 खाता संख्या 466, नकल जमाबंदी आराजी मांगरोल सम्वत 2065–2068 खाता संख्या 102, नकल जमाबंदी आराजी मांगरोल सं0 2069–2072 खाता संख्या 468 रजिस्ट्री दिनांक 11.07.1996 नकल निर्णय मय डिक्री दिनांक 14.03.2007 उनवान कमलशंकर बनाम रघुवीर नकल डायरी खाता संख्या 25.03.1992 मुत्यु प्रमाण पत्र, नकल नोटिस दिनांक 05.06.2014 नोटिस कोरियर रसीद पेश किये गये जो शामिल फायल है।।

हमने पत्रावली में संलग्न प्रदर्शो, साक्ष्य एवं दस्तावेजो का अद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन व मनन किया। प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 को एक्स पार्टी कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने के उपरान्त वकील वादी श्री लिहाज हुसैन की दिनांक 03.05.2018 को अन्तिम बहस सुनी गयी। बहस में वकील वादी ने उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिसे वकील वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया है। वकील वादी ने मूल रूप से अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व रेकार्ड के अनुसार व आराजी विक्रय के अनुसार सम्पूर्ण खाते 1.95 है0(0.97 है0) में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का हिस्सा 1/4 अर्थात 0.48 है0 वर्तमान में होना चाहिए व इसी तरह रघुवीर द्वारा दो बार आराजी का विक्रय करने के बाद सम्पूर्ण खाता 1.95 है0 (0.97 है0) में से वर्तमान में 0.14 है0 शेष आराजी का खातेदार होना चाहिये व इसी के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन होना चाहिये। सुनी गयी अन्तिम बहस पर मनन करने के पश्चात वाद वादी स्वीकार किया

है एवं आदेश दिये जाते है कि ग्राम मांगरोल तह0 मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 468 खसरा नं0 1769 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1771 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 1822 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 1823 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 1830 रकबा 0.03 है0 खसरा नं0 1835 रकबा 0.02 है0 खसरा नं0 1839 रकबा 0.01 है0 खसरा नं0 2134 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 2150 रकबा 0.33 है0 खसरा नं0 2152 रकबा 0.17 है0, कुल किता 10 रकबा 1.23 है0 में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का हिस्सा 0.49 है0 प्रतिवादी नं0 3 रघुवीर का हिस्सा 0.14 है0 प्रतिवादी नं0 4 मूलचंद का हिस्सा 0.49 है0 प्रतिवादी नं0 5 नन्द कंवरी का हिस्सा 0.11 है0 कुल 0.49+0.14+0.49+0.11=1.23 है0 का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है व कुल किता 10 रकबा 1.23 है0 में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का हिस्सा 0.49 है0 प्रतिवादी नं0 3 रघुवीर का हिस्सा 0.14 है0 प्रतिवादी नं0 4 मूलचंद का हिस्सा 0.49 है0 प्रतिवादी नं0 5 नन्द कंवरी का हिस्सा 0.11 है0 राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।